

पत्र सं०-विधि-4(3)-शासन संदर्भ-2012-13/ 20/ 1415019

/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर

( विधि-अनुभाग )

उत्तर प्रदेश

लखनऊ :: दिनांक : 21 मई, 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/कार्पोरेट सर्किल)

वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

विषय : कच्चे आढ़तियों से निर्यातकों द्वारा फार्म-ई के विरुद्ध की गयी खरीद के संबंध में :

आप अवगत हैं कि मुख्यालय द्वारा परिपत्र संख्या पत्र सं०-विधि-4(3)-शासन संदर्भ-2012-13/ 166/1314042/ वाणिज्य कर दिनांक 09.09.2013 निर्गत करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि यदि चावल निर्माता निर्यातक कच्चे आढ़ती के माध्यम से धान की खरीद करते हैं तथा कच्चे आढ़तियों को फार्म -ई जारी करते हैं ,तो कच्चे आढ़ती से की गयी धान की खरीद पर शासकीय विज्ञप्ति सं०क०नि०-2- 247 / ग्यारह . . . . दिनांक 24-02-2010 के आलोक में कोई करदेयता न होगी । इस संबंध में विभिन्न प्रत्यावेदनों के माध्यम से यह जिज्ञासा की गयी है कि उपर्युक्त परिपत्र द्वारा जो वस्तुस्थिति धान के संबंध में स्पष्ट की गयी है क्या यही स्थिति अन्य वस्तुओं में भी लागू होगी ?

उक्त संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त परिपत्र के प्रस्तर सं०-6 , 7 तथा 8 में निम्न विधिक स्थिति शासकीय विज्ञप्ति सं०क०नि०-2- 247 / ग्यारह . . . . दिनांक 24-02-2010 के आलोक में स्पष्ट की गयी है -

6- यह भी उल्लेखनीय है कि इस नोटिफिकेशन के अन्तर्गत करमुक्ति पाने के लिए कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा अवधारित फार्म-ई ऐसे निर्माता -एक्सपोर्टर द्वारा संबंधित विक्रेता डीलर को देना आवश्यक होगा जिसके आधार पर ऐसा विक्रेता डीलर करमुक्ति प्राप्त कर सकेगा ।

7- यदि निर्माता-निर्यातक द्वारा कच्चे आढ़तिया (Selling Commission Agent ) से धान की सीधे ( direct ) खरीद की जाती है और ऐसे धान से निर्मित चावल का निर्यात कर दिया जाता है तथा ऐसे कच्चे आढ़तिया ( Selling Commission Agent ) को फार्म-ई जारी कर दिया जाता है तो उक्त नोटिफिकेशन ऐसे संव्यवहार पर लागू होगा तो ऐसे कच्चे आढ़तिया को संबंधित संव्यवहार के परिप्रेक्ष्य में ऐसे प्राप्त फार्म-ई के प्रस्तुतीकरण पर प्रश्नगत संव्यवहार के परिप्रेक्ष्य में उक्त नोटिफिकेशन के अन्तर्गत करमुक्ति अनुमन्य होगी । ऐसा कच्चा आढ़तिया अपनी ऐसी बिक्री फार्म-ई के विरुद्ध दर्शाएगा तथा तदनुसार करमुक्ति का दावा अपने द्वारा प्रस्तुत संबंधित टैक्स पीरियड के रिटर्न में करेगा । ज्ञातव्य है कि कच्चे आढ़तिया ( Selling Commission Agent ) धारा 2(h) में यथा परिभाषित "डीलर" की परिभाषा में समाहित है ।

8- यदि निर्माता-निर्यातक द्वारा पक्के आढ़तिया ( Purchasing Commission Agent ) के माध्यम से खरीद की जाती है तब यह नोटिफिकेशन ऐसे संव्यवहारों पर लागू नहीं होगा क्योंकि ऐसी स्थिति में खरीद

21

पहले पक्के आढ़तिया ( Purchasing Commission Agent ) द्वारा कच्चे आढ़तिया ( Selling commission Agent ) से की जाएगी तथा इसके बाद प्रश्नगत खरीदे गए माल को निर्देष्टा को प्राप्त कराया जाएगा। चूंकि पक्का आढ़तिया ( Purchasing commission Agent) स्वयं निर्माता - एक्सपोर्टर नहीं है, अतः वह स्वयं फार्म-ई जारी नहीं कर सकता है और उपरोक्त स्थिति में निर्माता - एक्सपोर्टर द्वारा चूंकि सीधे खरीद कच्चे आढ़तिया से नहीं की गयी है, इस कारण वह भी ऐसे कच्चे आढ़ती को फार्म-ई जारी नहीं कर सकता है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त नोटिफिकेशन निर्माता-एक्सपोर्टर द्वारा पक्के आढ़तिया ( Purchasing Commission Agent ) के माध्यम से खरीद किए जाने की दशा में लागू नहीं होगा। "

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त विधिक स्थिति शासकीय विज्ञप्ति सं०क०नि०-2- 247 / ग्यारह . . . . दिनांक 24-02-2010 के आलोक में केवल धान के परिप्रेक्ष्य में ही लागू नहीं है अपितु यह विधिक स्थिति इस शासकीय विज्ञप्ति द्वारा अनुमन्य अन्य उन सभी वस्तुओं के लिए भी लागू होगी जिनकी खरीद निर्यातक व्यापारी द्वारा Selling Commission Agent से की जाएगी।

तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

उक्त पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर के निर्देशों के क्रम में प्रेषित है।

08  
( योगेन्द्र कुमारी ) 5.14

एडीशनल कमिश्नर ( विधि) वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

**पू०पू०सं०एवं दिनांक उक्त।**

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) माननीय अध्यक्ष,उ०प्र० राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- (2) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (4) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ( दो प्रतियों में )
- (5) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, उ०प्र०।
- (6) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ०प्र०।
- (7) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उ०प्र० मुख्यालय लखनऊ।
- (8) एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०/ अपील), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि०अनु०शा० / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (10) समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क०नि० / वि०अनु०शा०/स०द०) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (11) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (12) महालेखाकार, छठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
- (13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (14) प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (15) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू ऑडिट विंग, स्टेट ऑफिस आफ द ए०जी०ऑडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (17) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (18) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिश्नर/ डिप्टी कमि०/ असिस्टेंट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य/ गजियाबाद।
- (19) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/ डिप्टी कमि०/ असि०कमि०(उ०न्या०कार्य०) लखनऊ/ इलाहाबाद।
- (20) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियों में।
- (21) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियों।

- (22) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
- (23) अध्यक्ष, 30प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वेल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी ,बांसमण्डी, लखनऊ ।
- (24) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ ।
- (25) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) 30प्र0 ।
- (26) श्री श्याम बिहारी मिश्र, 30प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
- (27) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, 30प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुंज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ ।
- (28) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
- (29) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
- (30) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स , 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
- (31) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
- (32) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
- (33) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड, लखनऊ ।
- (34) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल परिया गाजियाबाद ।
- (35) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर, लखनऊ ।
- (36) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से ।
- (37) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
- (38) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद ।
- (39) श्री शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि 30प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर।
- (40) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 30प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
- (41) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी, बनारस ।
- (42) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (43) डा0 छेदी लाल सार्थी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
- (44) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी ।
- (45) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1, कुंजगली, चौक, वाराणसी ।
- (46) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (47) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) 30प्र0 ट्रक आपरेटर्स , फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
- (48) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।
- (49) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0जा0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (50) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल 30प्र0 प्रदेश , 19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (51) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर ।
- (52) संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (53) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
- (54) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0पा0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (55) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (56) श्री दिनेश अरोरा 30प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (57) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष 30प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (58) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सेंगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी0-बी-29, विधायकनिवास, दारुल सफा, लखनऊ ।
- (59) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष , समाजवादी व्यापारी सभा , 30प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।
- (60) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष 30प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, 30 बी0एन0रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (61) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन , विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (62) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड , कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (63) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट , हाथरस ।

- (64) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (65) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ०प्र०)
- (66) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ०प्र० उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- (67) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न०-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।
- (68) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (69) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशन, आर०डी०सी०-51, राजनगर, गाजियाबाद ।
- (70) श्री बी०एन०शुक्ला, अध्यक्ष, यू०पी० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
- (71) श्री रवि सन्दूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू०पी०) ।
- (72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैंट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड ।
- (73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू०पी० पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा ।
- (74) अध्यक्ष, राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ( उत्तर प्रदेश )
- (75) अध्यक्ष, यू०पी०मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (रजि०) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर ।
- (76) अध्यक्ष/सचिव, वेस्टर्न यू०पी०चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बाम्बे बाजार, मेरठ ।
- (77) अध्यक्ष / महासचिव महानगर टैक्स बार एसोसिएशन (रजि०) गाजियाबाद
- (78) प्रेसीडेन्ट/सचिव, यू०पी०शुगर मिल्स एसोसिएशन, 403, चिल्टेन हाउस, 16, स्टेशनरोड, लखनऊ ।
- (79) अध्यक्ष /महासचिव आल इण्डिया फैडरेशन आफ टैक्स प्रैक्टीशनर्स, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद
- (80) कन्वीनर, टैक्स फोरम, रजत विहार, सेक्टर 62, नोएडा ।
- (81) राष्ट्रीय अध्यक्ष, / महामन्त्री, न्याय मंच-949, मल्हूपुरा, मुजफ्फरनगर ।

Om  
(योगेन्द्र कुमार) 5.14

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ